

IS 19581:2026

Sustainable Beach Operations — Requirements

This Indian Standard specifies the requirements for the sustainable operation and maintenance of beaches across India, providing a structured framework to ensure beaches are managed in an environmentally responsible, safe, and inclusive manner. It has been developed in response to growing tourism pressures and environmental concerns, and aligns with national laws including the Environmental Protection Act and Coastal Regulation Zone notifications.

It outlines a comprehensive framework covering key aspects of beach management, including the display of environmental and safety information, stakeholder education and awareness, water quality monitoring, ecological conservation, and the provision of essential infrastructure and services. Beaches are classified into three tiers — Class I, II, and III — based on their level of compliance, with each class carrying a distinct operational flag colour to signal its status to visitors.

This also emphasizes environmental stewardship by addressing marine debris management, protection of native coastal habitats such as sand dunes and turtle nesting sites, and the preparation of Beach Suitability Assessment Studies and Environmental Management Plans prior to beach development.

In addition, it includes detailed requirements for safety and security, including lifeguard deployment ratios, watchtower specifications, emergency preparedness planning, and risk assessment for bathing zones. Operational facilities such as waste management systems, drinking water, restrooms, CCTV surveillance, and accessible pathways are also addressed, supporting the safe, sustainable, and well-managed use of India's coastal resources.

IS 19581 : 2026

सतत समुद्र तट संचालन — अपेक्षाएँ

यह भारतीय मानक भारत के समुद्र तटों के टिकाऊ संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है कि समुद्र तटों का प्रबंधन पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार, सुरक्षित और समावेशी तरीके से किया जाए। यह बढ़ते पर्यटन दबाव और पर्यावरणीय चिंताओं के जवाब में विकसित किया गया है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचनाओं सहित राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है।

यह समुद्र तट प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं को शामिल करने वाला एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करता है, जिसमें पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी जानकारी का प्रदर्शन, हितधारकों की शिक्षा और जागरूकता, जल गुणवत्ता की निगरानी, पारिस्थितिक संरक्षण, और आवश्यक बुनियादी ढांचे तथा सेवाओं का प्रावधान शामिल है। समुद्र तटों को उनके अनुपालन स्तर के आधार पर तीन श्रेणियों — क्लास I, II और III — में वर्गीकृत किया गया है, और प्रत्येक श्रेणी के लिए एक अलग रंग का परिचालन ध्वज निर्धारित किया गया है — क्लास I के लिए नारंगी, क्लास II के लिए रॉयल नीला और क्लास III के लिए हरा रंग।

यह मानक पर्यावरणीय संरक्षण पर विशेष जोर देता है, जिसमें समुद्री मलबे का प्रबंधन, रेत के टीलों और कछुओं के घोंसले वाले स्थलों जैसे मूल तटीय आवासों की सुरक्षा, तथा समुद्र तट विकास से पहले समुद्र तट उपयुक्तता मूल्यांकन अध्ययन (बीएसएएस) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, इसमें सुरक्षा और संरक्षा के लिए विस्तृत आवश्यकताएं शामिल हैं, जैसे प्रति 100 मीटर पर कम से कम एक लाइफगार्ड की तैनाती, वॉचटावर की स्थापना, आपातकालीन तैयारी की योजना, और नहाने के क्षेत्रों के लिए जोखिम मूल्यांकन। इसके साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, पेयजल, शौचालय सुविधाएं, सीसीटीवी निगरानी और दिव्यांगजनों के लिए सुलभ मार्ग जैसी परिचालन सुविधाओं की भी विस्तृत आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं, जो भारत के तटीय संसाधनों के सुरक्षित, टिकाऊ और सुव्यवस्थित उपयोग को सुनिश्चित करती हैं।